



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072026-274672
CG-DL-E-23072026-274672

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208|
No. 208|

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2026/आषाढ 23, 1948
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2026/ASHADHA 23, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2026

सं. 19/2026-27

विषय: भारत – यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) के तहत टीआरक्यू को शामिल करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 2.92 और परिशिष्ट-2क के तहत संशोधन के संबंध में।

फा.सं.-01/89/180/110/एम-25/पीसी-2(ए)/ई-45719.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेशव्यापार नीति 2023 के पैरा 2.04 के साथ पठित पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद द्वारा भारत – यूनाइटेड किंगडम (यूके) व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) के तहत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के लिए उल्लिखित मदों और संबंधित प्रावधानों को शामिल करने हेतु प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 2.92 और परिशिष्ट-2क में निम्नानुसार संशोधन करते हैं-

1. भारत-यूके (सीईटीए) के तहत निम्नलिखित वार्षिक आयात टीआरक्यू शामिल करने के लिए एचबीपी, 2023 के पैरा 2.92 को संशोधित किया गया है-

(I) (क)

आइसीई-पेसेंजर कार (एचएस8703)-पूरी तरह से निर्मित इकाइयाँ (सीबीयू)							
वर्ष	3000 सीसी से अधिक पेट्रोल और 2500 सीसी से अधिक डीजल		1500 सीसी (पेट्रोल) से (और सहित) 2500 सीसी (डीजल)/3000 सीसी (पेट्रोल)		1500 सीसी तक (और सहित)		कुल कोटा
	इन-कोटा प्रशुल्क (सीमा शुल्क की आधार दर - 110.0%)	कोटा मात्रा	इन-कोटा प्रशुल्क (सीमा शुल्क की आधार दर - 66.0 %)	कोटा मात्रा	इन-कोटा प्रशुल्क (सीमा शुल्क की आधार दर - 66.0	कोटा मात्रा	
1	30.0%	10,000	50.0%	5,000	50.0%	5,000	20,000
2	25.0%	12,500	40.0%	6,000	40.0%	6,000	24,500
3	20.0%	15,500	30.0%	7,000	30.0%	7,000	29,500
4	15.0%	18,500	20.0%	8,000	20.0%	8,000	34,500
5	10.0%	19,000	10.0%	9,000	10.0%	9,000	37,000
6	10.0%	16,300	10.0%	8,150	10.0%	8,150	32,600
7	10.0%	15,200	10.0%	7,600	10.0%	7,600	30,400
8	10.0%	14,100	10.0%	7,050	10.0%	7,050	28,200
9	10.0%	13,000	10.0%	6,500	10.0%	6,500	26,000
10	10.0%	11,900	10.0%	5,950	10.0%	5,950	23,800
11	10.0%	10,800	10.0%	5,400	10.0%	5,400	21,600
12	10.0%	9,975	10.0%	4,988	10.0%	4,988	19,950
13	10.0%	9,150	10.0%	4,575	10.0%	4,575	18,300
14	10.0%	8,325	10.0%	4,163	10.0%	4,163	16,650
15 और उसके बाद	10.0%	7,500	10.0%	3,750	10.0%	3,750	15,000

(ख) जिन प्रशुल्क कोड पर यह टीआरक्यू लागू होता है, वे इस प्रकार हैं:

एचएस कोड		
87032110	87032391	87033199
87032191	87032399	87033210
87032199	87032410	87033291

87032210	87032491	87033299
87032291	87032499	87033310
87032299	87033110	87033391
87032310	87033191	87033399

(II)(क)

इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड/हाइड्रोजन-पैसेंजर कार (एचएस8703)-सीबीयू							
वर्ष	£40,000 सीआइएफ से कम		£40,000 सीआइएफ से £80,000 सीआइएफ (सहित)		£80,000 सीआइएफ से अधिक		कुल कोटा
	इन-कोटा प्रशुल्क	कोटा मात्रा	इन-कोटा प्रशुल्क (सीमा शुल्क की आधार दर - 110.0%)	कोटा मात्रा	इन-कोटा प्रशुल्क (सीमा शुल्क की आधार दर - 110.0%)	कोटा मात्रा	
6	नहीं	शून्य	50.0%	400	40.0%	4,000	4,400
7	नहीं	शून्य	40.0%	600	30.0%	6,000	6,600
8	नहीं	शून्य	30.0%	800	20.0%	8,000	8,800
9	नहीं	शून्य	20.0%	1,000	15.0%	10,000	11,000
10	नहीं	शून्य	10.0%	1,200	10.0%	12,000	13,200
11	नहीं	शून्य	10.0%	1,400	10.0%	14,000	15,400
12	नहीं	शून्य	10.0%	1,550	10.0%	15,500	17,050
13	नहीं	शून्य	10.0%	1,700	10.0%	17,000	18,700
14	नहीं	शून्य	10.0%	1,850	10.0%	18,500	20,350
15 और बाद के वर्ष	नहीं	शून्य	10.0%	2,000	10.0%	20,000	22,000

(ख) जिन प्रशुल्क कोड पर यह टीआरक्यू लागू होता है वे इस प्रकार हैं:

एचएस कोड			
87034010	87035030	87036090	87038010
87034030	87035090	87037010	87038030
87034090	87036010	87037030	87038090
87035010	87036030	87037090	87039000

(III)(क)

आईसी- मालवाहन (एचएस-8704)-पूरी तरह से निर्मित इकाइयाँ			
वर्ष	इन-कोटा शुल्क (आधार दर-44.0%)	आउट ऑफ –कोटा शुल्क (आधार दर -44.0%)	कोटा मात्रा
वर्ष 1	37.0 %	41.8%	2,500
वर्ष 2	29.9%	39.6%	2,750
वर्ष 3	22.9%	37.4 %	3,000
वर्ष 4	15.8%	35.2 %	3,250
वर्ष 5	8.8%	33.0 %	3,500
वर्ष 6	8.8%	30.8 %	3,500
वर्ष 7	8.8%	28.6 %	3,500
वर्ष 8	8.8%	26.4 %	3,500
वर्ष 9	8.8%	24.2 %	3,500
10 वर्ष और उसके बाद	8.8%	22.0%	3,500

(ख) जिन प्रशुल्क कोड पर यह टीआरक्यू लागू होता है वे इस प्रकार हैं:

एचएसकोड		
87041010	87042200	87043100
87042100	87042300	87043200

- आयात भारत-यूके (सीईटीए) से संबंधित वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना (जिसमें समय-समय पर यथा-संशोधित) के संबंधित प्रावधानों के अधीन होगा।
- आयात खेप के सीमा शुल्क निकासी के समय, भारत में आयातक को यूनाइटेडकिंगडम के संबंधित प्राधिकरणों द्वारा जारी उद्गम प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए टीआरक्यू आवेदनों के प्रस्तुतिकरण हेतु आवेदन अवधि की सूचना समय-समय पर अलग सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से दी जाएगी।
- टीआरक्यू प्राधिकार पत्र प्रदान किए जाने हेतु सभी आवेदन केवल डीजीएफटी की वेबसाइट (<https://dgft.gov.in>) पर ऑनलाइन माध्यम से इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम→ टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाएंगे।
- केवल यूनाइटेड किंगडम मूल के वाहनों के मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) तथा उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत डीलर/चैनल पार्टनर ही टीआरक्यू के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
- पात्रता के लिए प्रत्येक आवेदक को यूके मूल के वाहनों के मूल उपकरण निर्माता द्वारा जारी एक पूर्व-क्रय समझौता प्रस्तुत करना होगा, जिसमें प्रत्येक टीआरक्यू के अंतर्गत भारत में आयात हेतु टीआरक्यू वर्ष के दौरान आवेदक को आपूर्ति किए जाने वाले वाहनों की स्वीकार्य मात्रा का उल्लेख हो।
- यदि किसी टीआरक्यू के अंतर्गत प्राप्त कुल आवेदन की गई मात्रा उपलब्ध कुल टीआरक्यू मात्रा से कम है, तो प्रत्येक पात्र आवेदक को उसके द्वारा आवेदन की गई मात्रा आवंटित की जाएगी तथा शेष उपलब्ध मात्रा के लिए आगे आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

9. यदि टीआरक्यू के अंतर्गत आवेदन की गई कुल मात्रा संबंधित टीआरक्यू के अंतर्गत आयात किए जा सकने वाले वाहनों की कुल संख्या से अधिक हो जाती है, तो टीआरक्यू की मात्रा सभी पात्र आवेदकों के बीच उनके पूर्व-क्रय समझौते के आधार पर मांगी गई मात्रा के अनुपात में आवंटित की जाएगी।
10. यदि कोई आयातक किसी टीआरक्यू वर्ष में उसे आवंटित मात्रा का पर्याप्त हिस्सा आयात करने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी अगले टीआरक्यू वर्ष के लिए उस आयातक के आवंटन का निर्धारण करते समय इस कम उपयोग की गई मात्रा को ध्यान में रखेगा, ताकि टीआरक्यू का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
11. इन आयातों के लिए वर्ष की गणना 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अवधि अर्थात् भारत के कैलेंडर वर्ष के आधार पर की जाएगी।
12. डीजीएफटी जारी किए गए टीआरक्यू प्रमाण-पत्रों की संचयी मात्रा की निगरानी करेगा। निर्धारित टीआरक्यू मात्रा सीमा पूरी हो जाने के बाद कोई भी नया टीआरक्यू प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
13. डीजीएफटी द्वारा जारी टीआरक्यू में आयातक का नाम एवं पता, आयातक-निर्यातक कोड (आईसीसी), सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या, लागू प्रशुल्क मद, मात्रा तथा टीआरक्यू की वैधता अवधि का उल्लेख होगा।
14. टीआरक्यू प्राधिकार पत्र विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा तथा भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) को प्रेषित किया जाएगा।
15. टीआरक्यू के अंतर्गत आयात की अनुमति केवल आईसीईएस प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेबिट किए जाने के उपरांत ही दी जाएगी।
16. टीआरक्यू प्रमाण-पत्र की वैधता अधिकतम 12 माह अथवा संबंधित कैलेंडर वर्ष की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक होगी। टीआरक्यू प्राधिकार पत्र के अंतर्गत आयात की स्वीकृति केवल टीआरक्यू प्राधिकार पत्र द्वारा निर्धारित वैधता के भीतर भारतीय सीमा शुल्क द्वारा प्रदान की जास कती है।
17. टीआरक्यू के अंतर्गत आयात करने वाले आयातक यह प्रयास करेंगे कि टीआरक्यू के अंतर्गत उपलब्ध रियायती सीमा शुल्क का लाभ अंतिम खरीदार या उपभोक्ता तक पहुँचाया जाए।
18. टीआरक्यू आवंटन की उपर्युक्त व्यवस्था की 2 वर्ष बाद, अर्थात् कैलेंडर वर्ष 2028 से समीक्षा की जा सकती है तथा टीआरक्यू के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं।
19. भारत-यूके (सीईटीए) के अंतर्गत टीआरक्यू के तहत आयात हेतु आवेदन की उपर्युक्त प्रक्रिया को प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के परिशिष्ट 2क के अनुलग्नक-VII में जोड़ा जाएगा।
20. डीजीएफटी को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह जनहित में आवश्यक समझे जाने पर टीआरक्यू के आवंटन एवं प्रशासन से संबंधित प्रावधानों में संशोधन, परिवर्तन, छूट अथवा अतिरिक्त शर्तें निर्धारित कर सके।

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

भारत- यूके (सीईटीए) के तहत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के आवंटन हेतु प्रक्रिया को अधिसूचित किया जाता है।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 9th July, 2026

No. 19 /2026-27

Subject: Amendments under Para 2.92 and Appendix-2A of Handbook of Procedure 2023 for inclusion of TRQs under India – United Kingdom Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)-reg.

F. No. 01/89/180/110/AM-25/PC-2(A)/E-45719.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 read with 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Directorate General of Foreign Trade hereby amends Para 2.92 and Appendix-2A of the Handbook of Procedure, 2023 to incorporate the items mentioned and related provisions for Tariff Rate Quota (TRQ) under India – United Kingdom (UK) Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) as follows –

1. Para 2.92 of the HBP, 2023 is amended to include the following annual Import TRQs under India-UK (CETA)-
(I) (a)

ICE-Passenger Car (HS8703)-Completely Built Units (CBU)							
Year	more than 3000 cc petrol and more than 2500 cc diesel		From 1500 cc(petrol) to (and incl.) 2500cc (diesel) / 3000 cc (petrol)		Upto (and incl.) 1500 cc		Total Quota
	In-quota tariff(Base rate of customs duty – 110.0%)	Quota Size	In-quota tariff(Base rate of customs duty – 66.0 %)	Quota Size	In-quota tariff (Base rate of customs duty – 66.0%)	Quota Size	
1	30.0%	10,000	50.0%	5,000	50.0%	5,000	20,000
2	25.0%	12,500	40.0%	6,000	40.0%	6,000	24,500
3	20.0%	15,500	30.0%	7,000	30.0%	7,000	29,500
4	15.0%	18,500	20.0%	8,000	20.0%	8,000	34,500
5	10.0%	19,000	10.0%	9,000	10.0%	9,000	37,000
6	10.0%	16,300	10.0%	8,150	10.0%	8,150	32,600
7	10.0%	15,200	10.0%	7,600	10.0%	7,600	30,400
8	10.0%	14,100	10.0%	7,050	10.0%	7,050	28,200
9	10.0%	13,000	10.0%	6,500	10.0%	6,500	26,000
10	10.0%	11,900	10.0%	5,950	10.0%	5,950	23,800
11	10.0%	10,800	10.0%	5,400	10.0%	5,400	21,600
12	10.0%	9,975	10.0%	4,988	10.0%	4,988	19,950
13	10.0%	9,150	10.0%	4,575	10.0%	4,575	18,300
14	10.0%	8,325	10.0%	4,163	10.0%	4,163	16,650
15 and onwards	10.0%	7,500	10.0%	3,750	10.0%	3,750	15,000

(b) The tariff codes to which this TRQ applies are as follows:

HS Code		
87032110	87032391	87033199
87032191	87032399	87033210
87032199	87032410	87033291
87032210	87032491	87033299
87032291	87032499	87033310

87032299	87033110	87033391
87032310	87033191	87033399

(II)(a)

Electric/Hybrid/Hydrogen-Passenger Cars(HS8703)-CBU							
Year	Below£40,000CIF		£40,000CIFto £80,000CIF (inclusive)		Above£80,000CIF		Total Quota
	In-quota tariff	Quota Size	In-quota tariff (Base rate of customs duty – 110.0%)	Quota Size	In-quota tariff (Base rate of customs duty – 110.0%)	Quota Size	
6	No	Nil	50.0%	400	40.0%	4,000	4,400
7	No	Nil	40.0%	600	30.0%	6,000	6,600
8	No	Nil	30.0%	800	20.0%	8,000	8,800
9	No	Nil	20.0%	1,000	15.0%	10,000	11,000
10	No	Nil	10.0%	1,200	10.0%	12,000	13,200
11	No	Nil	10.0%	1,400	10.0%	14,000	15,400
12	No	Nil	10.0%	1,550	10.0%	15,500	17,050
13	No	Nil	10.0%	1,700	10.0%	17,000	18,700
14	No	Nil	10.0%	1,850	10.0%	18,500	20,350
15 and later years	No	Nil	10.0%	2,000	10.0%	20,000	22,000

(b) the tariff codes to which this TRQ applies are as follows:

HS Code			
87034010	87035030	87036090	87038010
87034030	87035090	87037010	87038030
87034090	87036010	87037030	87038090
87035010	87036030	87037090	87039000

(III)(a)

ICE-Goods Vehicles (HS-8704)-Completely Built Units			
Year	In-Quota Duty (BaseRate-44.0%)	Out-of-Quota Duty (BaseRate-44.0%)	Quota Size
Year1	37.0 %	41.8%	2,500
Year2	29.9%	39.6%	2,750
Year3	22.9%	37.4 %	3,000
Year4	15.8%	35.2 %	3,250
Year5	8.8%	33.0 %	3,500
Year6	8.8%	30.8 %	3,500
Year7	8.8%	28.6 %	3,500
Year8	8.8%	26.4 %	3,500
Year9	8.8%	24.2 %	3,500
Year 10 and onwards	8.8%	22.0%	3,500

(b) the tariff codes to which this TRQ applies are as follows:

HS Code		
87041010	87042200	87043100
87042100	87042300	87043200

2. Import would be subject to the relevant Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification (as amended from time to time) relating to India-UK (CETA).
3. At the time of clearance of the import consignment, the importer in India must produce a Certificate of Origin issued by concerned authorities in UK.
4. The application window for submission of TRQ applications, for each calendar year, will be intimated through a separate Public Notice from time to time.
5. All applications for grant of TRQ authorizations shall be submitted online through the DGFT website (<https://dgft.gov.in>) → Import Management System → Tariff Rate Quota (TRQ).
6. Only Original Equipment Manufacturers (OEMs), Dealers/Channel Partners duly authorised by the OEMs of vehicles originating in the UK shall be eligible to apply for the TRQ.
7. To be eligible, each applicant shall submit a pre-purchase agreement issued by an Original Equipment Manufacturer of the vehicles originating in the UK setting out the quantity of vehicles agreed to be supplied to the applicant during the TRQ year for importation into India under each TRQ.
8. If the total quantities applied for are below the total available quantity under a given TRQ, each eligible applicant for that TRQ shall be allocated the requested quantity, and the remaining available quantity shall be made available for filing of applications.
9. If the total TRQ quantities applied for exceed the total number of vehicles that may be imported under the relevant TRQ, the TRQ quantities shall be allocated among all eligible applicants in proportion to the quantity that each eligible applicant has requested on the basis of the pre-purchase agreement.
10. When an importer fails to import a significant share of the quantity allocated to it in a TRQ year, the competent authority shall, in determining that importer's allocation for the subsequent TRQ yeartake such under-utilization into account so as to ensure effective utilization of TRQ.
11. The year in respect of these imports will be the period from 1st January to 31st December, i.e., calendar year in India.
12. DGFT shall monitor the cumulative quantities for TRQ Certificates issued. No TRQ Certificates shall be issued once the stated TRQ quantity limit is reached.
13. The TRQ issued by DGFT shall contain the name and address of the importer, Importer -Exporter Code (IEC), Customs notification number, tariff item as applicable, quantity and validity period of the TRQ.
14. The TRQ Authorisation shall be issued electronically by the Directorate General of Foreign Trade and transmitted to Indian Customs EDI System (ICES).
15. Imports against the TRQ shall be allowed only upon debiting electronically in the ICES system.
16. TRQ Certificate shall be valid for a maximum period of 12 months or till the end of the calendar year, whichever is earlier. The imports against a TRQ Authorisation may be cleared from Indian Customs only within the stated validity of the TRQ Authorisation.
17. Importers under TRQ shall endeavour to pass on the benefit of the concessional customs duty available under the TRQ to the final buyer or consumer.
18. The above modalities of the TRQ allocation may be subject to review after 2 years, i.e., from the calendar year 2028, and any necessary revisions may be made to ensure the effective utilisation of the TRQ.
19. Procedure for application for imports under TRQ under India-UK (CETA) as enumerated above shall be inserted under Annexure VII of Appendix 2A of the Handbook of Procedures 2023.
20. DGFT reserves the right to modify, amend, relax, or prescribe additional conditions relating to the allocation and administration of the TRQ, as may be considered necessary in the public interest.

2. Effect of this Public Notice:

Procedure for allocation of Tariff Rate Quotas (TRQ) under India-UK (CETA) is notified.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Addl. Secy.